HAMIRPUR POLICE

थाना जरिया **दिनाँक 08.05.2023**

➢ 23 चोरी की बैटरी सहित 03 आरोपी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.05.2023 को वादी श्री राहुल द्विवेदी पुत्र रविन्द्र कुमार द्विवेदी निवासी मोहल्ला वासुदेव थाना चरखारी जनपद महोबा द्वारा थाना जरिया में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 03/04.05.2023 की रात्रि में इण्डस टावर सरीला में लगी 24 बैटरी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना जरिया में मु0अ0स0-139/23, धारा-379 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था। आज दिनांक 08.05.2023 को क्षेत्राधिकारी सरीला के कुशल पर्यवेक्षण में थाना जरिया पुलिस द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना से संबंधित 03 अभियुक्तों 1) रोहित पुत्र चन्द्रशेखर निवासी मु0 मांझखोर कस्बा सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर उम्र करीब 23 वर्ष, 2) रोहित पुत्र विश्वनाथ निवासी मु0 कांशीराम कालोनी सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर उम्र करीब 19 वर्ष, 3) अशोक कुमार पुत्र रामकिशुन ताम्रकार निवासी तमराईलेन चौबट्टा कस्बा राठ थाना राठ जनपद हमीरपुर उम्र करीब 48 वर्ष को छिबौली तिराहे से राठ रोड पर एक रिक्शे मे कुल 23 काले रंग की बैट्री जिसपर exido, Indus Towers के साथ गिरफ्तार किया गया।बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 आईपीसी की वृद्धि करते हुये उपरोक्त गिरफतार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा गया।

पूछ-ताछ का विवरणः-

अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आये कि उक्त अभियुक्तगण घटना की रात्रि में टावर पर पहुंचें थे, एक अन्य अभियुक्त राम सिंह तथा रोहित सोनी उपरोक्त द्वारा टावर के अंदर घुस कर बैटरीयों को खोला गया तथा अशोक कुमार ताम्रकार व रोहित कुमार दोनों व्यक्ति रोड पर लोगों को आते जाते देखते रहे, यदि कोई व्यक्ति उनकी तरफ आये तो बैटरी खोलने वाले दोनों व्यक्तियों को सतर्क कर दें, इसके बाद रोड पर आवागमन धीरे-धीरे शांत होने लगा, बैटरीयों को अपने घर नहीं लेजा पाये

तथा टावर के पास ही रोड के बगल में कूड़ेदान में छिपा दिए थे और उस पर कूड़ा रख दिए थे, गत रात्रि में बैटरी ले जाने के लिए कस्बा सरीला से एक ई रिक्शा लेकर आ गए थे, उसी से यह सब चोरी की बैटरी ले जा रहे थे, जिसमें से एक बैग व एक बैटरी राम सिंह अपने मोटरसाइकिल से पहले लेकर चला गया और 23 बैटरी उपरोक्त 03 लोग एक साथ लेकर जा रहे थे, बैटरी को काटकर कानपुर में माल बेच देते और जो पैसा मिलता तो आपस में बांट लेते। उपरोक्त 03 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त राम सिंह फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा दबिस दी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1) रोहित पुत्र चन्द्रशेखर निवासी मु0 मांझखोर कस्बा सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर,
2) रोहित पुत्र विश्वनाथ निवासी मु0 कांशीराम कालोनी सरीला थाना जरिया हमीरपुर,
3) अशोक कुमार पुत्र रामकिशुन ताम्रकार नि0 तमराईलेन चौबट्टा कस्बा/थाना राठ हमीरपुर,

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1) उ0नि0 संगमलाल प्रजापति चौकी प्रभारी सरीला
2) हे0का0 इन्द्रमणि यादव
3) का0 शिवम दुबे
4) का0 अरविन्द कुमार